दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथिः 21 मार्च, 2023

रि.या. (सि.) 3534/2023 और सि.वि.आ. 13741/2023

शीशपाल सिंह ....याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री ए के सिंह और श्री कमलेश कमल, अधिवक्तागण।

बनाम

भारत का संघ और अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा : सुश्री राधिका विश्वजीत दुबे, वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता के साथ सुश्री रूपाली, जीपी और श्री समश भूषण, कानूनी अधिकारी, आरएएफ

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

निर्णय (मौखिक)

1.वर्तमान याचिका के द्वारा, याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी सं. 2 को यह निर्देश देने की मांग कर रहा है कि वह याचिकाकर्ता अर्थात् इंस्पेक्टर/जी. डी. शीशपाल सिंह, बल नं. 025261652 के दिनांक 09.02.2023 के आक्षेपित स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाए जिसके द्वारा उसका स्थानांतरण प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा जारी सॉफ्टवेयर आधारित स्थानांतरण नीति के उल्लंघन में 182 बटालियन कर दिया गया है ताकि याची को नई ग्रीष्मकालीन श्रृंखला स्थानांतरण 2024 में तैनाती का विकल्प देने की अनुमति दी जा सके और तब तक, याचिकाकर्ता को उसकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर अपनी सेवा देने की अनुमति दी जा सके।

2. प्रत्यर्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता, जो अग्रिम नोटिस पर उपस्थित हो रहे हैं, प्रस्तुत करते हैं कि ग्रीष्मकालीन श्रृंखला स्थानांतरण सैंटोस (सिस्टम फॉर एनुअल ट्रांसफर ओवर सॉफ्टवेयर) द्वारा किया गया है और किसी व्यक्ति की हाज़िरी पर विचार करते समय, विभिन्न चीजों को ध्यान में रखा जाता है जैसे कि स्थायी आदेश-04/2022 दिनांक 27.09.2022 के पैरा 6 (बी) और पैरा 8 (बी) को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

6 (बी) स्थानांतरण के लिए हार्डशिप स्कोर किसी विशेष स्थान पर इकाई/प्रतिष्ठान मुख्यालय के स्थान पर आधारित होगा। हार्डशिप स्कोर को विशेष क्षेत्र के परिचालन और अन्य प्रशासनिक विचार के आधार पर बदला जा सकता है। निदेशालय द्वारा तय किए गए अनुसार होम पोस्टिंग के लिए अंक कम किए जाएंगे।

8 (बी) चूंकि सीआरपीएफ विशेष अधिनियम के तहत गठित भारत सरकार का केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है और राष्ट्र की सुरक्षा बनाए रखने के संबंध में महत्वपूर्ण परिचालन कर्तव्यों का कार्य करता है, इसलिए बल की कुछ परिचालन और प्रशासनिक आवश्यकताएं हैं।ऐसी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को किसी भी समय किसी भी यूनिट या कार्यालय में तैनात किया जा सकता है।उपर्युक्त नीति किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को किसी विशेष स्थान पर या किसी विशेष कार्यकाल के लिए नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देती है, जैसा कि पैरा-8 (ए) में उल्लिखित है।

यदि किसी अधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी की तैनाती के दौरान पर्यवेक्षक/वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में यह आता है कि अधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी को प्रशासनिक या परिचालन कारणों से किसी भी समय वर्तमान स्थान से बाहर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, तो संबंधित प्राधिकारी ऐसे अधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी का किसी भी समय उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरण कर सकता है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण 'सैंटोस' द्वारा दिए गए 19 विकल्पों में से नहीं किया गया है, इसलिए, जब उसके द्वारा दिए गए 19 विकल्पों पर विचार किए बिना उसका स्थानांतरण किया गया था, तो उसने एक अभ्यावेदन दिनांक 02.03.2023 बनाया जिसे कोई कारण दिए बिना दिनांक 02.03.2023 के आक्षेपित आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था|

4. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि स्थानांतरण 'सैंटोस' के रूप में नहीं है, जिसमें याचिकाकर्ता की तैनाती का सुझाव दिया गया है।

5.प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत करते हुए इस तथ्य पर विवाद किया गया है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण 'सैंटोस' द्वारा दिए गए स्थानांतरण/तैनाती के अनुसार किया गया है और तदनुसार, स्थानांतरण आदेश को स्थानांतरण/तैनाती की उपलब्धता के अधीन पारित किया गया था।

6. हमने दिनांक 02.03.2023 के आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन अस्वीकार कर दिया गया था और उक्त आदेश में हालांकि यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्यर्थीगण ने सभी पहलुओं पर विचार किया है, लेकिन अभ्यावेदन के रूप में याचिकाकर्ता के अनुरोध को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि यह गुण-दोष से रहित था।

7.उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम प्रत्यर्थीगण को याची को यह सूचित करने का निर्देश देते हुए वर्तमान याचिका का निपटान करते हैं कि क्या स्थानांतरण 'सैंटोस' के अनुसार किया गया है या नहीं | यदि 'सैंटोस' द्वारा याचिकाकर्ता की तैनाती का सुझाव नहीं दिया गया था, तो प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को आज से दस दिनों के भीतर सूचित करे कि क्यों उसकी तैनाती उसके द्वारा दी गई 19 वरीयताओं से नहीं की गई थी।

8.यह सामान्य कानून है कि स्थानांतरण/तैनाती न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हालांकि, वर्तमान याचिका में किए गए प्रकथनों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में पारित किया गया है और इसे पूर्ववर्ती नहीं माना जाएगा।

9. उपरोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान याचिका का निपटान किया जाता है।

लंबित आवेदन का भी निपटान किया जाता है।

कोर्ट मास्टर के हस्ताक्षर के तहत आदेश की प्रति दस्ती दी जाए।

(सुरेश कुमार कैत) न्यायमूर्ति

(नीना बंसल कृष्णा) न्यायमूर्ति

21 मार्च, 2023/आर के

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*